भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1522

सोमवार, 1 जुलाई, 2019 / 10 आषाढ़ 1941 (शक)

बाल मजदूरी

1522. श्री निहाल चन्द:
श्री दिलीप साईकिया:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल मजदूरी पर प्रतिबंध के बावजूद भी देश के विभिन्न भागों में बाल मजदूरी की प्रथा को संज्ञान में लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सबंध में कानूनी प्रावधनों का ब्यौरा क्या है और देश में गत पांच वर्षों के दौरान बाल मजदूरी के पता चले मामलों की संख्या कितनी है और बाल मजदूरी की प्रथा में संलिप्त दोषसिद्ध लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा अब तक कितने दोषी व्यक्तियों को दंडित किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा देश में बाल मजदूरी रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का बाल मजदूरी पूर्णत: समाप्त करने के लिए एक और अधिक प्रभावी कानून लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): बाल श्रम विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन और निरक्षरता का परिणाम है। केन्द्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध के वावजूद देश के विभिन्न भागों में अभी भी चल रही बाल मजदूरी की प्रथा को संज्ञान में लिया है और वह देश के सभी भागों से बाल श्रम के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध है।

बाल श्रम के उन्मूलन हेतु, सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को संशोधित किया है तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है जो 01.09.2016 से प्रवृत हुआ। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी व्यवसाय एवं प्रक्रिया में नियोजन अथवा कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध और 14 से 18 वर्ष की

आयु समूह के किशोरों का जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन पर प्रतिषेध का प्रावधान है। संशोधन अधिनियम में अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन हेतु नियोक्ताओं के लिए दंड को और अधिक कठोर बनाने का प्रावधान है और अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के संबंध में पिछले पांच वर्षों में किए गए निरिक्षणों के दौरान पता लगाए गए उल्लंघनों कि संख्या, शुरू किए गए अभियोजनों कि संख्या तथा दोषसिद्धियों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	उल्लंघन	अभियोजन	दोषसिद्धियां
2014	5595	2923	998
2015	4319	2481	748
2016	3993	1730	677
2017	1691	1276	695
2018	942	624	586
कुल	16540	9034	3704

सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को कार्य से बचाया/हटाया जाता है तथा एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने से पहले ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख, आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के निकट समन्वय के माध्यम से सीधे औपचारिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाता है। बाल श्रम अधिनियम के उपबंधों का कारगर प्रवर्तन और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, दिनांक 26.09.2017 से एक अलग ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल (प्लेटफार्म फोर इफेक्टिव इनफोर्समेंट फोर नो चाइल्ड लेबर) चालू कर दिया गया है।

(घ): बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन हेतु कानून को और अधिक कारागर बनाने के लिए सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से संशोधित किया है जो 01.09.2016 से प्रवृत हुआ जिसमें अन्य बातो के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है:-

1) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध।
2) 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों का जोखिमकारी व्यवसायों में नियोजन पर प्रतिषेध।
3) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन हेतु दंड में बढ़ोतरी।
4) अधिनियम के उल्लंघन में बच्चों के नियोजन को संज्ञेय अपराध बनाया गया।

*****